

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./सीटीएडी/मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर/18-19/ दिनांक : 6-3-19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
डूंगरपुर।

11397-410

विषय : राजकीय मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर के सामान्य चिकित्सालय में गेस्ट हाउस मय फर्निचर निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 30725-38 दिनांक 24.08.2018 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर के सामान्य चिकित्सालय में विभिन्न निर्माण कार्यों की (गेस्ट हाउस मय फर्निचर, मॉड्यूलर किचन (सिविल वर्क एवं ईक्यूपमेंट्स) ई-क्लास रूम प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 200.00 लाख की जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या-4 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी -सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्र.स.	कार्य का नाम	(राशि लाख रु. में)	
		तकनीकी स्वीकृति	
1	2	क्र/दि.	राशि
1	गेस्ट हाउस मय फर्निचर निर्माण	3	4
2	मॉड्यूलर किचन (सिविल वर्क एवं ईक्यूपमेंट्स)	AC/DPR/06/07.01.2019	200.00
3	ई-क्लास रूम		

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-28/2018-19 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा Construction of class rooms and laboratories etc in Engineering College, Banswara. & Infrastructure support for Medical Collage, Dungarpur. प्राप्त राशि रु. 200.00 लाख में से होगा। राशि रु. 100.00 लाख (प्रथम किश्त) हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्तें-

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना निश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
4. स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा) I.A.S
आयुक्त

एफ 5/अभि./सीटीएडी/मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर/18-19/11397-410 दिनांक : 6-3-19
प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
6. प्राचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज एवं एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, डूंगरपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत डूंगरपुर।
9. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डूंगरपुर।
10. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा शासन की स्वीकृति संख्या-28/2018-19 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा Construction of class rooms and laboratories etc in Engineering College, Banswara. & Infrastructure support for Medical Collage, Dungarpur. प्राप्त राशि रू. 200.00 लाख मे से राशि रू. 100.00 लाख (प्रथम किश्त) परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को हस्तांतरित करे।
11. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
12. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
13. मार्ट फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)